

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ०पी० चन्देलिया

प्रकरण सं० : 11/2024

अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादी



दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण: वादी

राजपैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 22.8.24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854 है० में 1693/6854 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381 है० में 1159/25381 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां दर्ज है। वादी के निवास का पता चाईयां दर्ज है परन्तु वादी के दस्तावेजों में निवास का पता हुणतपुरा दर्ज है। वादभूमि में वादी का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा है। वादी के पेन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास व राशन कार्ड में वादी का नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

साक्ष्य वादी में अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा हुणतपुरा सम्वत् 2076-79 खाता सं० 95/110 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम रासलाना खाता सं० 279/181 सम्वत् 2075-78 प्रदर्श 2, चित्रप्रति आधार कार्ड अनिल कुमार शर्मा प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति पहचान पत्र अनिल कुमार 4ए, चित्रप्रति ड्राइविंग लाईसेंस अनिल कुमार प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति मूल निवास अनिल कुमार प्रदर्श 6ए तथा चित्रप्रति राशन कार्ड इमरती प्रदर्श 7ए प्रदर्शित करवाये तथा सहखातेदार देवीलाल, सुभाष, भादरसिंह, बद्रीप्रसाद, नागरसिंह, हरिराम तथा बलराम के शपथ पत्र पेश किये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तावेजात व शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854 है० में 1693/6854 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381 है० में 1159/25381 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में दरतावेज पेश किये जो अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा के नाम से ही है व पटवारी पटवार हल्का जाटान व रासलाना व तहसीलदार(राजस्व) भादरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक भूअ./24/737 दिनांक 03.05.2024 के मुताबिक नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है के रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854 है० में 1693/6854 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381 है० में 1159/25381 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां दर्ज है जबकि उक्त दोनों खातों की भूमि में वादी का सही नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा है। अतः रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854 है० में वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां की जगह तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381 है० में वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां की जगह वादी का नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्या डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश कुंवर)  
सहायक-कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. चंदेलिया

प्रकरण सं० : 11/2024

अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854है० में 1693/6854 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381है० में 1159/25381 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां दर्ज है जबकि उक्त दोनों खातों की भूमि में वादी का सही नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा है। अतः रोही मोजा हुणतपुरा के खाता सं० 95/110 के खसरा संख्या 122/2, 16, 98/1 की 6.854है० में वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां की जगह तथा ग्राम रासलाना के खाता सं० 279/181 के खसरा सं० 30, 32 की 25.381है० में वादी का नाम अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां की जगह वादी का नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी हुणतपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी अनील कुमार पुत्र श्योपाल जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां या अनील कुमार पुत्र श्योपालसिंह शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चाईयां नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी. चंदेलिया) R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा जिला हनुमानगढ  
(फास्ट ट्रैक) भादरा